उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या–599 /XXVII(6)–तीन–1466/2021
देहरादूनः दिनॉकः 06 दिसम्बर, 2021

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–584/XXVII(6)/1466/तीन/2021, दिनांक 06.12.2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आंतरिक लेखा परीक्षा नियम संग्रह, 2021 एवं अधिसूचना संख्या–A 584/XXVII(6)/1466/तीन/2021, दिनांक 06.12.2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वित्तीय साक्ष्यांकन लेखा परीक्षा नियम संग्रह, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. उप निदेशक, वित्त सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, यू0के0पी0एफ0एम0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. निदेशक, लेखा परीक्षा ऑडिट, निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. संयुक्त सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर, इसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. प्रभारी मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या– 584 /XXVII(6)/ 1466/तीन/2021
देहरादून, दिनांकः 06, दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम 2 वर्ष 2012) की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा नियम संग्रह, 2011 को अधिक्रमित करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर एवं सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट (INTOSAI) के संगठन द्वारा समय–समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं अंतर्राष्ट्रीय उन मानकों के अनुरूप जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के समस्त चरणों के लिए दिशा–निर्देश, विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षाओं की परिभाषाएं, सिद्धांतों एवं मानकों को लागू किए जाने के लिए उत्तराखण्ड आंतरिक लेखा परीक्षा नियम संग्रह को प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थातः–

उत्तराखण्ड आंतरिक लेखापरीक्षा नियमसंग्रह, 2021

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. **(1)** इन लेखा परीक्षा नियम संग्रहों का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड आंतरिक लेखा परीक्षा नियम संग्रह–2021 है।

(2) इसके अंतर्गत दो खंड हैंः–खंड–I एवं खंड–II। खंड–I के दो भाग हैं। यह लेखा परीक्षा नियम संग्रह उन समस्त ऑडिटी पर लागू होंगे जो कि अधिसूचना संख्या 495/XXVII/2012, दिनांकित 26 नवंबर, 2012 के माध्यम से लागू उत्तराखंड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 4(1) के क्रम में अधिसूचित किए गए हैं। ऑडिटी के अंतर्गत समस्त सरकारी विभाग, सरकारी संस्थायें, प्राधिकरण, स्वायत्त संस्थान, सरकारी उपक्रम, सरकारी बोर्ड, सरकारी एजेंसियां, विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी संस्थान सम्मिलित है, जिन्हे केंद्र या राज्य की समेकित निधि से अनुदान या ऋण या किसी प्रकार की धनराशि आवंटित/प्राप्त होती है।

(3). इसके अतिरिक्त, ऐसे अन्य संस्थान या संगठन पर लागू होंगे, जिन्हें निदेशक, लेखा परीक्षा द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा सम्पादित कराने हेतु वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो।

(4). उत्तराखंड लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 3 कि उपधारा (5) के प्रावधानानुसार आंतरिक लेखापरीक्षा को वित्त विभाग के अंतर्गत

केंद्रीयकृत किया गया है एवं विभागों के प्राधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार निदेशालय, लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड एवं ऑडिट प्रकोष्ठ द्वारा ऑडिट संबंधित समस्त कार्य किए जाऐंगे।

(5). निदेशालय लेखापरीक्षा, उत्तराखण्ड का मुख्य दायित्व लेखापरीक्षा नियम संग्रहों को क्रियान्वित किया जाना होगा। इसके लिए निदेशालय द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम, लेखापरीक्षा हेतु मानव संसाधन का आंकलन, लेखापरीक्षा दलों की दक्षता के अनुसार निर्धारण, लेखापरीक्षा क्रियान्वयन, लेखापरीक्षा प्रालेखन एवं रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा की गुणवत्ता अभिवृद्धि एवं अनुश्रवण के कार्यवाही की जाएगी।

(6). ऑडिट प्रकोष्ठ, ऑडिट मैनुअल के निरन्तर उन्नयन हेतु तकनीकी परामर्शक की भूमिका निभाते हुए लेखापरीक्षा के मानकों/सिद्धांतों/पद्धतियों में आवधिक परिवर्तन होने पर अपनी संस्तुति प्रदान करेगा, ऑडिट में नवीन पद्धतियों को चरणबद्ध रूप से आई टी सोल्युशंस एवं कम्प्यूटर एडेड ऑडिट टेकनिक्स (CATTs) को स्थापित करेगा।

(7). लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में लेखापरीक्षा दलों द्वारा आचार संहिता, स्वतंत्रा, गोपनीयता एवं सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा एवं लेखापरीक्षा के नियम संग्रहों का अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा के कार्यों को संपादित किया जाएगा।

(8). यह लेखा परीक्षा नियम संग्रह अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

आन्तरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से वित्त विभाग का मिशन और लक्ष्य

2. आन्तरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से वित्त विभाग के मिशन और लक्ष्य निम्नवत हैः—

(क).राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अधिनियम, 2012 के अधीन आन्तरिक लेखापरीक्षा का दायित्व वित्त विभाग को न्यासित गया है। वित्त विभाग द्वारा निदेशालय लेखापरीक्षा के माध्यम से विभागों के मुख्य लेखा परीक्षित कार्यक्षेत्रों का आंकलन जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्टो, सस्तुतियों एवं सम्बन्धित लेखा परीक्षा विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। वित्त विभाग सम्बन्धित लेखा परीक्षा रिपोर्टो द्वारा यह भी आंकलित किया जायेगा कि विभागों द्वारा स्थापित समस्त नियमों एवं कानूनों का अनुपालन, सार्वजनिक संसाधनों और निधियों का

प्रभावी और कुशलता से उपयोग किया गया है। आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा जोखिम प्रबंधन, स्वतंत्र एवं आंतरिक नियंत्रण एवं शासकीय प्रक्रियाओं का व्यवस्थित मूल्यांकन का आंकलन भी किया जाएगा।

(ख) राज्य सरकार आंतरिक लेखा परीक्षा का प्रभावी उपयोग करते हुए वित्तीय अनुशासन तथा संसाधनों एवं कोषों के अनुकूलतम उपयोग के माध्यम से सुशासन के ध्येय की पूर्ति करेगी।

उत्तराखंड आंतरिक लेखापरीक्षा नियम संग्रह के खंड एवं संबन्धित खंडों मे संक्षिप्त विवरण

3. उत्तराखंड आंतरिक लेखापरीक्षा नियम संग्रह के दो खंड हैं, जिसमे खंड–I के अन्तर्गत दो भाग एवं खंड II के अन्तर्गत एक भाग है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:–

लेखा परीक्षा नियम संग्रह	
उत्तराखंड आंतरिक लेखा परीक्षा नियम संग्रह खंड–I भाग–I	• आंतरिक लेखा परीक्षा मानकों, लेखा परीक्षा करने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए आचार संहिता एवं स्वतंत्रता के नियम; • वित्त विभाग, निदेशालय लेखा परीक्षा, ऑडिट प्रकोष्ठ के कार्यों एवं दायित्वों • लेखा परीक्षा के सम्पूर्ण चरणों (ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम से सहसंबद्ध) लेखा परीक्षा कार्य योजना से लेखा परीक्षा अनुश्रवण तक समस्त चरणों का पूर्ण विस्तृत विवरण; • लेखा परीक्षा गुणवत्ता के लिए गुणवत्ता आश्वासन।
उत्तराखंड आंतरिक लेखा परीक्षा नियम संग्रह खंड–I भाग–II	• उत्तराखंड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 • इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स के मानकों के सारांश की सूची • लेखा परीक्षा के संबंध में शासनादेशों का संकलन • आंतरिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत मानकीकृत प्रारूपों।
उत्तराखंड आंतरिक	महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों हेतु लेखा परीक्षा

लेखा परीक्षा नियम संग्रह खंड–II	जांच सूचियाँ एवं विभिन्न विभागों की लेखा परीक्षा हेतु जांच सूची का संकलन।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

4. (1). रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्लान आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली के रूप मे संस्था के समग्र जोखिम प्रबंधन रूपरेखा को संबद्ध करती है। आरबीआईए आंतरिक लेखापरीक्षा से प्रबंध को यह प्रतिबद्धिता का प्राधिकार प्रदान होता है कि समस्त प्रकार के कार्य पद्धतियों के लिए जोखिम आंकलन की क्षमता प्रभावी ढंग से प्रबंधित की जा रही है।

(2). इस लेखापरीक्षा नियम संग्रह में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:–

(क)जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की अवधारणा के अनुसार परम्परागत लेखापरीक्षा (संवयव्हार लेखापरीक्षा) के स्थान पर प्रत्येक विभागों के विभिन्न लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्रों की समीक्षा के उपरांत रिस्क रजिस्टर ऑनलाइन मोड़ द्वारा तैयार किया जाएगा। रिस्क रजिस्टर के अनुसार विभागों में चिन्हित उच्च जोखिम कार्यक्षेत्रों की लेखापरीक्षा संपादित की जाएगी

(ख) प्रत्येक तीन वर्षों या यथाआवश्यक नीतियों में परिवर्तन या नवीन परियोजनाओं के लागू किये जाने इत्यादि की परिस्थितियों में तीन वर्ष से पूर्व संबधित रिस्क रजिस्टर के अनुसार विभागों को उच्च, मध्यम एवं न्यून जोखिम में विभक्त किया जाएगा एवं लेखा परीक्षा नियंम संग्रह के अनुसार विभागों का लेखापरीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा

(ग) आंतरिक लेखापरीक्षक संस्थान (आईआईए) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा के समस्त चरणों को संपादित किया जाएगा।

(घ) उत्तराखंड ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की योजना, संचालन, रिपोर्टिंग और अनुश्रवण के लिए मानकीकृत प्रारूपों को सम्मिलित किया जाएगा।

आंतरिक लेखा परीक्षा के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से ऑनलाईन डेटा प्राप्त करने की कार्यविधि

5. **(क)**.विभिन्न विभागों द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकार के शासकीय कार्यों का संपादन ऑनलाइन कियाविधि/पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। संबंधित पोर्टल से महत्त्वपूर्ण सूचनाएं, आकड़े इत्यादि प्राप्त होते हैं, जिनका ऑडिट हेतु विश्लेषण किया जा सकता है।

वर्तमान पारिपेक्ष्य में लेखा परीक्षा नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु बिग डेटा, डेटा एनालटिक्स (Data Analytics) और अभिनव आई0टी0 तकनीक अनुप्रयोग नितांत आवश्यक है।

(ख). लेखापरीक्षा एवं रिस्क आधारित लेखा परीक्षा में समय एवं मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग एवं इसके सफल क्रियान्वयन हेतु आई0टी0 तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। वित्त विभाग विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए Application Program Interface (API), bulk data या अन्य कोई विधि, जिसके माध्यम से लेखा परीक्षा हेतु डेटा या सूचना स्थानान्तरण हेतु सहमति बनी हो, जैसे–IFMS का उपयोग सभी आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, विभागों द्वारा बड़ी परियोजनाओं, बजट व्यय की सूचना का ई आंकलन (नियोजन विभाग), इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है, का प्रयोग डेटा संचरण के लिए किया जाएगा।

आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रकृति/प्रकार

6. **(क)** उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली के उन्नय, सर्वोत्तम लेखापरीक्षा कार्यप्रणालियों को लागू किए जाने एवं लेखा परीक्षा कार्य को सुदृढ़ किए जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) आंतरिक लेखापरीक्षा को दो प्रमुख वर्गीकरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत विभिन्न–2 प्रकार की लेखापरीक्षाओं को सम्मिलित किया जाएगा:–

- **कार्यात्मक लेखा परीक्षा**–निर्माण कार्य एवं राजस्व लेखा परीक्षा
- **विशिष्ट स्वरूप की लेखा परीक्षा** – निष्पादन लेखा परीक्षा, अधिप्राप्ति लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिक लेखा परीक्षा, लोक–निजी सहभागिता लेखा परीक्षा तथा फ्रॉड एवं फॉरेंसिक लेखा परीक्षा है।

(ग) उत्तराखंड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 20 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं के लिए लागू होने वाली परिभाषाएं, संक्षिप्त विवरण और मानका को नियम 7 और 8 में परिभाषित किया गया है। सम्बन्धित लेखा परीक्षाओं के लिए उल्लेखित परिभाषाओ, मानकों के आधीन वित्त विभाग द्वारा पृथक–पृथक लेखा परीक्षा नियम संग्रह निर्गत एवं प्रख्यापित किए जायेंगे।

कार्यात्मक लेखापरीक्षा

7. **(क). निर्माण कार्य लेखा परीक्षा**–निर्माण लेखापरीक्षा के अंतर्गत

निर्माण विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, मंडी परिषद इत्यादि के निर्माण कार्यों से संबंधित समस्त चरणों की लेखा परीक्षा सम्पादित की जाएगी। निर्माण कार्य लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रमुख लेखा परीक्षा योग्य क्षेत्रों जैसे कि निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों, अधिप्राप्ति, अनुबंध प्रबंधन, भण्डार प्रबंधन आदि का आंकलन किया जाएगा एवं चिन्हित् जोखिम क्षेत्रों की विस्तार में लेखा परीक्षा की जाएगी। निर्माण कार्य लेखा परीक्षा उत्तराखंड आंतरिक लेखा परीक्षा नियम संग्रह द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप की जाएगी। वित्त विभाग द्वारा लेखा परीक्षा कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु विस्तार से लेखा परीक्षा प्रक्रिया को निर्धारित करने विषयक निर्माण कार्य लेखा परीक्षा नियम संग्रह को प्रख्यापित किया जाएगा।

(ख).राजस्व लेखा परीक्षा—राजस्व लेखा परीक्षा नियम संग्रह के अंतर्गत राजस्व अर्जन करने वाले विभागों जिसमें कर राजस्व से संबंधित विभाग—राज्यकर, आबकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग करेत्तर राजस्व विभाग तथा खनन, वन विभाग जैसे विभाग समाविष्ट किये जायेंगे। राजस्व लेखापरीक्षा संबंधित विभाग के अधिनियम, नियमों, मानकों एवं नीतियों के अनुसार सम्पादित की जाएगी। राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की पृथक से एक जांच सूची तैयार की जायेगी। राजस्व लेखा परीक्षा के अंतर्गत लेखा परीक्षा कार्य हेतु चिन्हित मुख्य क्षेत्र यथा—रेड फ्लैग रिपोर्ट्स, कर अधिकारियों द्वारा नियमों का अनुपालन, कर अधिकारियों द्वारा नियमों के अनुसार मूल्यांकन एवं संग्रहण, आंतरिक नियंत्रण का आंकलन जैसे जोखिम कार्यक्षेत्रों की लेखा परीक्षा की जाएगी। राजस्व लेखा परीक्षा उत्तराखंड आंतरिक लेखा परीक्षा नियम संग्रह द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप की जाएगी। वित्त विभाग द्वारा लेखा परीक्षा कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु विस्तार से लेखा परीक्षा प्रक्रिया को निर्धारित करने विषयक राजस्व लेखा परीक्षा नियमसंग्रह को प्रख्यापित किया जाएगा।

विशेष प्रकृति लेखा परीक्षा 8. **(क). निष्पादन लेखा परीक्षाः**—निष्पादन लेखापरीक्षा का अर्थ इस प्रकार की लेखापरीक्षा से है, जिसके अंतर्गत किसी ऑडिटी संस्थान, योजना/कार्यक्रम संचालन/क्रियान्वयन/आउटपुट तथा सरकारी योजना/कार्यक्रम की सफलता एवं परिणामों की समीक्षा समय—समय पर की जाएगी। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए दिशा—निर्देश में अर्थव्यवस्था (economy), दक्षता (efficiency) और प्रभावशीलता (effectiveness) को विस्तार से समाविष्ट किया जाएगा। निष्पादन लेखा परीक्षा में उक्त 03 ई के अतिरिक्त नये आयामों का परिचय निष्पादन लेखा परीक्षा में पर्यावरण (Environment),न्याय संगतता (Equity), आचार नीति (Ethics)।

निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन, लोक संसाधनों का समुचित उपयोग, सूचना प्रणाली और नियंत्रण प्रणाली के साथ–साथ विधिक अनुपालन जैसे विषयों की लेखापरीक्षा भी वित्त विभाग द्वारा समिल्लित की जा सकती है।

यह लेखा परीक्षा नियम संग्रह इन्टरनेशनल आर्गनाईजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट (INTOSAI) के मानकों एवं निम्नलिखित मानकों पर आधारित होगाः–

- सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा सिद्धांत (ISSAI–100),
- निष्पादन लेखापरीक्षा के सिद्धांतों (ISSAI–300) और
- निष्पादन लेखापरीक्षा के मानकों (ISSAI–3000–ISSAI–3999)

वित्त विभाग द्वारा निष्पादन लेखा परीक्षा के सिद्धांतों, मानकों एवं विस्तार से लेखा परीक्षा प्रक्रिया को निर्धारित करने विषयक निष्पादन लेखा परीक्षा नियमसंग्रह को प्रख्यापित किया जाएगा।

(ख). सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा (आई0टी0 ऑडिट)

आई0टी0 ऑडिट इस प्रकार के आश्वासन प्राप्त करने की कार्यप्रणाली है, जिसके द्वारा स्थापित किया जा सके कि आई0टी0 सिस्टम के विकास, क्रियान्वयन और रख–रखाव द्वारा ऑडिटी संस्थानों के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों सुरक्षा और डेटा अखंडता संरक्षित है। दूसरे शब्दों में, **सूचना प्रौद्योगिकी** लेखा परीक्षा यह परीक्षण करने के लिए है कि आई0टी0 सिस्टम और नियंत्रणों के क्रियान्वयन द्वारा सिस्टम सुरक्षा, गोपनीयता, लागत और अन्य महत्वपूर्ण नियमों से समझौता किए बिना ऑडिटी संस्थाओ के उद्देश्यों को पूर्ण करता है।

आईटी ऑडिट के अंतर्गत वित्तीय, अनुपालन, निष्पादन लेखा परीक्षा या इनके संयोजन की लेखा परीक्षा वित्त विभाग के दिशा–निर्देश में की जाएगी।

आई0टी0 ऑडिट हेतु निम्नलिखित मानकों एवं मापदंडो के अनुसार लेखापरीक्षा सम्पादितकी जाएगी।

- सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा एवं नियंत्रण संघ के मानक (Information System Audit & Control Association (ISAC)
- सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक (ISSAI)के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी ऑडिट पर सिद्धांत दिये गए है, ISSAI 5100 आईटी ऑडिट के सिद्धांतों के लिए व्यापक सिद्धांत है।
- Control Objectives for IT (COBIT), 2019
- ISO 20000 Standard specifically for IT Service Management
- ISO 22301 Standard for business continuity management

वित्त विभाग द्वारा लेखा परीक्षा कार्य को सम्पादित किये

जाने हेतु सिद्धांतों, मानकों एव विस्तार से लेखा परीक्षा प्रक्रिया को निर्धारित करने विषयक सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा नियमसंग्रह को प्रख्यापित किया जाएगा।

(ग). लोक अधिप्राप्ति लेखा परीक्षा

लोक अधिप्राप्ति लेखापरीक्षा के मुख्य लक्ष्य यह आंकलित करने के लिए है कि अधिप्राप्ति नियमों, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अधिनियमों और स्थापित नैतिक मानकों की अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए ऑडिटी संस्थाओं द्वारा दक्षतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण रूप से सार्वजनिक सामग्रियों, कार्यो, सेवाओं की अधिप्राप्ति एवं अनुबंध का क्रियान्वयन के लिएकिया जाना है।

अधिप्राप्ति लेखापरीक्षा का स्वरूप संबधित लेखापरीक्षा के चयनित विषय, संबंधित लेखा परीक्षा के उद्देश्य के अनुसार निर्धारित की जाएगी। जोखिमबद्ध आंतरिक लेखा परीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा नियम संग्रहों के सिद्धांतों के अनुसार लेखापरीक्षा संपादित की जाएगी।

वित्त विभाग द्वारा लोक अधिप्राप्ति लेखा परीक्षा कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु विस्तार से लेखा परीक्षा प्रकिया को निर्धारित करने विषयक लोक अधिप्राप्ति लेखा परीक्षा नियम संग्रह को प्रख्यापित किया जाएगा।

(घ). फ्रॉड और फोरेंसिक लेखा परीक्षा

यह ऑडिटी के वित्तीय विवरणों, वित्तीय संव्यवहार, के विश्लेषण करने का एक स्वतंत्र, व्यापक और वैज्ञानिक कार्यप्रणाली है, जिससे इनकी परिशुद्धता का निर्धारण किया जा सके, तथ्यात्मक मिथ्या कथन से अप्रभावित हो एवं महत्वपूर्ण रूप से, ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिनका उपयोग न्यायालय या विधिक कार्यवाही में प्रयुक्त किया जा सकता है।

फोरेंसिक ऑडिट में विस्तृत कार्यक्षेत्रो की अन्वेष्ण गतिविधियां समाविष्ट हैं। संबंधित पक्ष द्वारा व्यवपहरण, दुर्विनियोग, गबन, या अन्य वित्तीय अपराधों के अभियोग की कार्यवाही हेतु प्रायः फोरेंसिक ऑडिट किया जाता है।

फ्रॉड एवं फोरेंसिक लेखा परीक्षा नियम संग्रह के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अंवेषण, भ्रष्टाचार विरोधी, वित्तीय अपराधों, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों, समय–समय पर सी0वी0सी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों आई सी0ए0आई0 मानकों एवं अधीनियम एवं नियम जो कि सम्बन्धित लेखा परीक्षा नियम सग्रह के यथा आवश्यक है, के अनुसार लेखा परीक्षा नियम संग्रह तैयार किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा फ्रॉड एवं फोरेंसिक लेखा परीक्षा कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु विस्तार से लेखा परीक्षा प्रक्रिया को निर्धारित करने विषयक फ्रॉड एवं फोरेंसिक लेखा परीक्षा नियमसंग्रह को प्रख्यापित किया जाएगा।

लोक निजी सहभागिता लेखा परीक्षा 9 (ड). लोक निजी सहभागिता लेखा परीक्षा परियोजनाओं की लेखा परीक्षा द्वारा मितव्ययत्ता, दक्षता और प्रभावशीलता के बारे में समस्त हितधारकों को तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करता है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में निजी क्षेत्र की एजेंसी को सम्मिलित किए जाने से सरकार को धन की उपादेयता में अभिवृद्धि हुई है। लोक निजी सहभागिता लेखापरीक्षा एक प्रकार की अनुबंध लेखापरीक्षा है जिसके द्वारा सार्वजनिक भागीदार कुल परियोजना लागत की युक्ति–युक्तता, इकाई के संचालन की मितव्ययत्ता और दक्षता एवं सर्वोपरि सहभागिता के उद्देश्यों (परिणामों) को प्राप्त किया जाना होगा।

लोक निजी सहभागिता लेखा परीक्षा में आंतरिक, निष्पादन, अनुपालन लेखापरीक्षा के निर्धारित सिद्धांतों और मानकों के अनुरूप की जाएगी।

लोक निजी सहभागिता लेखा परीक्षा समय–समय पर उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित लोक निजी सहभागिता नीति, अधिप्राप्ति नियमों, निर्धारित लेखा नियमों, एवं वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार किया जाएगा।

वित्त विभाग द्वारा लोक निजी सहभागिता लेखा परीक्षा कार्य को सम्पादित किये जाने हेतु विस्तार से लेखा परीक्षा प्रक्रिया को निर्धारित करने विषयक लोक निजी सहभागिता लेखा परीक्षा नियम संग्रह को प्रख्यापित किया जाएगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 584 /XXVII(6)/1466/Three/2021, Dehradun, dated 06-12-2021 for general information:

Government of Uttarakhand ,
Finance Section-06
No.584/XXVII(6)/1466/Three/2021
Dehradun , Date : 06, December, 2021
Notification

In exercise of the powers conferred by section 20 of the Uttarakhand Audit Act, 2012 (Uttarkhand Act No. 2 of 2012) superseding the Uttarakhand Audit Manual, 2011 and accordingly, as per the Standards to be applicable for Institute of Internal Auditors(IIA) and International Supreme Audit Institution (INTOSAI) to implement standards for Internal Audit, Guidelines with complete steps for conducting Risk-Based internal audit, definitions for different types of audits in Internal Audit with respective principles and Standards to be adopted, the Governoris pleased to allow to the promulgate the Internal Audit manual, namely :-

The Uttarakhand Internal Audit Manual, 2021

Short Title, applicability and Commencement 1- (1) This may be called the Uttarakhand Internal Audit Manual, 2021.

(2) This audit manual has two volumes-Volume I and Volume – II. The first volume has two parts. These audit manuals shall apply to all the auditees notified under the Gazette Notification No. 495/XXVII/2012 dated 26 November 2012 as per the provision of Section 4(1) of the Uttarakhand Audit Act 2012. Auditee includes all the Government Departments, Government Institutions, Authorities, Autonomous Bodies, Government Undertakings, Government Boards, State Agencies, Universities, and all other Institutions, which are allocated or receive grants or loans of any kind from the Consolidated Fund of the Central or State.

(3). In addition, such other Institution or Organization as notified by the Finance Department, Government of Uttarakhand from time to time for conducting internal audit

by Director of Audit

(4) According to Sub Section-5 Section 3 of the Uttarakhand Audit Act, 2012 the Internal audit has been centralized under the Finance Department, and it has been kept out of the preview of the individual Departments. Now complying with the standards and principles mentioned in Uttarakhand Internal Audit manual under the guidance of the Finance Department, the Directorate of Audit and Audit Cell, shall carry out all the work related to the audit.

(5) The main goal of the Directorate of Audit is the implementation of the audit manuals. In this regard-Directorate shall prepare an annual audit plan, assess human resources strength for audit, allocation to audit parties as per their skills sets, audit implementation, audit documentation and reporting, quality enhancement and monitoring of audit shall be carried out.

(6) The Audit Cell shall carry out the technical, advisory role for recommendations and suggestions on Audit manuals, recommendation on updation of auditing standards/principles/methodologies, phase-wise introduction of new avenues and in Audit, setting up of IT Solutions, Computer Aided Audit Techniques (CATTs).

(7) The audit teams in the field during auditshall follow Principles of Code of Conduct, Independence, Confidentiality and Integrity shall be followed by audit works shall be carried out in compliance with the audit manuals.

(8) This Audit Manual shall come in force from the date of publication of notification in the Official Gazette.

Mission and Goal of Finance Department through

2- The Mission and Goals of Finance Department through Internal Audit are as follows -:

(a) The Internal Audit responsibility has been entrusted by the State Government to the Finance Department under the Uttarkhand Audit Act, 2012. Finance Department through

Internal Audit	Directorate of Audit shall assess the key auditable areas of the Government Departments Risk-Based Internal Audit. After that Finance Department shall review and analyze the reports, recommendations and action taken by respective departments being audited.The Finance Department shall through the audit reports also check that departments have complied with established rules and regulations, effectively and efficiently used public resources and funds. Internal Audit shall also assess risk management, independent and systematic evaluation of internal control and governance processes. **(b)The State Government by the medium of effective internal audit shall achieve the goal of Good Governance through Financial Discipline, Optimum utilization of resources and funds.**
Brief details of UttarakhandInternal Audit Manual: Volumes and its Parts	3- Uttarakhand Internal Audit Manual has two volumes in which the first volume has two parts and Volume two has one part, a brief description of manuals are as mentioned below -

Uttarakhand Internal Audit Manual Volume –I Part-I	• Internal Audit Standards, Code of Conduct and Independence for Officers and Personnel, conducting audit • Functions and Responsibilities of for Finance Department, Directorate of Audit, Audit Cell • Complete audit Cycle (co-related with OAMS) e.g., Audit plan up to follow up of Audit all the steps with complete detail • Quality Assurance for Audit Quality
Uttarakhand Internal Audit Manual Volume –I Part-II	• Uttarakhand Audit Act 2012 • Summary of Standards as laid down by the Institute of Internal Audit • Compilation of GOs issued for audit • Standardized Formats for internal audit

Uttarakhand Internal Audit Manual Volume–II	Compilation of audit checklists for Important Areas/Work and Checklists for Audit of Various Departments

Risk-based Internal Audit

4- (1) Risk Based Internal Auditing (RBIA) as a methodology links internal auditing to an organization's overall risk management framework. RBIA allows internal audit to provide assurance to the management that risk management processes are managing risks effectively, in relation to the risk appetite.

(2) The following are the salient features of this Audit Manual:

(a) According to the concept of Risk-Based Internal Audit, instead of traditional audit (Transaction Audit), the risk register shall be prepared through online mode after reviewing the different audit areas of each department. Audit of high-risk areas, as identified as per the risk register forthe departments shall be done.

(b) Every three years according to the risk register every three years or before three years as required due to changes in policies or new schemes introduced etc, the departments shall be categorized into a High, Medium and Low-risk categories and as per audit manual audit planning shall be done.

(c) All stages of internal audit shall be carried out as per standards laid down by the Institute of Internal Auditors (IIA)

(d) Standardized formats for planning, conducting, reporting and monitoring internal audit functions shall be incorporated into the Uttarakhand Online Audit Management System

Protocol for the request of Online

5- (a) Various Government Departments carry out different -2 government activities through online mechanisms/portals. The relevant portals may provide important information,

Data from various departments for conducting the internal audit

data etc. that may be analyzed for audit. In present context audit planning, audit execution requires implementation of Big Data, Data Analytics and other innovative IT technologies applications as an absolute necessity.

(b) IT technologies shall be used for optimum utilization of time and human resources for audit and successful implementation of risk-based audit. The Finance Department shall establish coordination with other Administrative Departments, for data transfer such as APIs, Bulk Data or any other mechanism the data or information agreed upon shall be obtained for audit, such as Integrated Financial Management System (IFMS) is being used by all the Drawing Disbursement Officers of Government Departments, Large projects, estimation of budget e Aklan portal (Planning Department), etc. can be used for Data Transmission

Nature/Types of Internal Audit

6- (a) The Government of Uttarakhand, under Public Financial Management Reform Program, is committed for upgrading the Internal Audit system, implementation of best practices,and strengthening audit functions .

(b) Internal audit has two major classifications which shall include different-2 types of audits of auditees in each types -:

- Functional audit - Work and Revenue audit
- Specialized Nature Audits-Performance Audit, Public Procurement Audit, Information Technology audit, Public-Private Partnership Audit and Fraud and Forensic Audit

(c) As per Section 20 of the Uttarakhand Audit Act 2012, the definitions, brief descriptions and standards to be applied for these various types of audits are defined in rule 7 and 8. Separate audit manuals shall be issued and promulgated by the Finance Department under definitions, standards mentioned for concerned different types of audit.

Functional

7- **(a) Work Audit-**Work Audit shall be carried out for audit of

Audit

various stages related to construction work for Work Departments and Executing agencies like Public Works Department, Irrigation, Minor Irrigation, Rural Engineering Service, Mandi Parishad etc. Under work audit,Key Auditable areas such as various stages of construction work, procurement, contract management, store management etc. shall be evaluated and the identified risk areas shall be audited in detail. Work audit shall be conducted in accordance with the rules and standards laid down by Uttarakhand Internal Audit Manual.Work Audit manual shall be promulgated by the Finance Department to lay down detailed audit process to be carried out related to work audit

(b) **Revenue Audit** - Revenue audit shall relate to audit of revenue earning departments which includes Tax- Revenue Departments such as State Tax, Excise, Stamp, and Registration department, Non-tax revenue departments such as mining, forest department etc.shallbe included in this manual. Revenue audit shall be conducted in accordance to theacts, rules, norms, policies of respective departments. There shall be a separate checklist to auditsuch revenue earning departments.Under revenue audit, the identified key audit areas are as follows such as red flag reports, compliance of rules by tax officers, assessment and collection by tax officers as per rules, internal control evaluation etc. on these risky areas audit shall be conducted. Revenue audit shall be conducted in accordance with rules and standards laid down by Uttarakhand Internal Audit Manual. Revenue Audit manual shall be promulgated by the Finance Department to lay down detailed audit process to be carried out related to Revenue Audit.

Audits of Special Nature

8- (a) **Performance Audit:** Performance audit means an audit that reviews any auditee institution, scheme/program operations or implementation or output and outcome from government scheme/programs from time to time.The guidelines for performance audit shall include in detail Economy, Efficiency, and Effectiveness. In addition to abovementioned three Es. The new dimensions in performance audit i.e. three Es Environment, Equity, Ethics shall also be introduced.

Under Performance Audit Risk management, proper use of public resources, Information systems and Control systems as well as the audit of subjects like legal compliance can be covered by the Finance Department.

This Audit Manual shall be based on Standards of the International Organization of Supreme Audit Institute (INTOSAI). The manual shall be prepared on the Principles and Standards are as mentioned below -

- Public Sector Auditing Principles (ISSAI-100),
- Principles of Performance Audit (ISSAI-300)
- Performance audit Standards(ISSAI-3000–ISSAI-3999)

Performance Audit manual shall be promulgated by the Finance Department to lay down Standards , Principles and detailed audit process to becarried out related to Performance Audit

(b) **Information Technology Audit (IT Audit)**

Information Technology Audit is the process of deriving assurance on whether the development, implementation and maintenance of IT systems meet auditee institution goals, safeguards information assets and maintain data integrity. In other words, an IT Audit is an examination of the implementation of IT systems and IT controls to ensure that the systems meet the auditee institution objectives without compromising security, privacy, cost, and other critical business elements

IT audit may be conducted for Finance, Compliance and Performance audit or its combination under the guidance of Finance Department.

IT Audit shall be conducted as per the following standards and parameters

- Information System Audit & Control Association (ISAC) standards
- Guidelines on Information Technology Audit under International Standards for Auditing Institute (ISSAI), ISSAI 5100 is the broad principles for IT audit principle
- Control Objectives for IT (COBIT) 2019
- ISO 20000 standard specifically for IT Service Management
- ISO 22301 standard for business continuity Management

IT Audit manual shall be promulgated by the Finance Department to lay down Standards, Principles and detailed audit process to be carried out related to IT Audit.

(c) **Public Procurement audit** –

The goal of Public Procurement audit is to assess how efficiently, effectively in compliance with requirements of Procurement rules, Financial rules, Government Orders, laws, and established ethical standards, auditee institutions are procuring and contracting public goods, works, and services for implementing the function of public procurement.

The nature of procurement audit shall be accordingly as per the selected topic, the objective of the concerned audit. It shall be conducted as per the standards as prescribed in Risk Based Internal Audit,Performance audit, or Compliance audit

Public Procurement Audit manual shall be promulgated by the Finance Department to lay down the detailed audit

process to be carried out related to Public Procurement Audit.

(d) **Fraud and Forensic Audit –**

It is an independent, comprehensive and scientific approach of reviewing auditee financial statements, utilization of government funds, financial transactions, procurement and contract execution to determine its accuracy, free from material mis statements importantly, to derive pieces of evidence that shall be used in a court of law or legal proceedings

Forensic audits covers a wide range of investigative activities. A Forensic Audit is often conducted to prosecute a party for fraud, embezzlement, misappropriation or other financial crimes.

Fraud and Forensic Audit manual shall be promulgated by the Finance Department in accordance with the acts, rules of Central and State Government related to the investigation, anti-corruption, financial crimes, information technology, C.V.C. Guidelines issued from time to time, I.C.A.I. standards and any other acts, rules as necessary shall be included in this audit manual Fraud and Forensic Audit manual shall be promulgated by the Finance Department to lay down the detailed audit process to be carried out related to Fraud and Forensic Audit.

(e) Public-Private Partnership Audit –

Audit of PPP projects is to provide reasonable assurance to all stakeholders about the economy, efficiency, and effectiveness of the PPP arrangement and to ensure that the inclusion of the private sector agency into the project has resulted in improving the value for money for the Government. PPP audit is a type of contract audit for the validity of total project cost, economy, and efficiency of operations of the entity from the public partner point of view and most of all on achieving the objectives (results)

of the partnership.

The concerned audit shall be carried out in accordance with the Principles and standards as laid down by the Internal, Performance and Compliance audit.
This audit shall be done in accordance with Public-Private Partnership Policy, Procurement Rules as notified by the State Government of Uttarakhand from time to time, as well as prescribed accounting rules and different concepts of financial management.
Public- Private Partnership Audit manual shall be promulgated by the Finance Department to lay down the detailed audit process to be carried out related to Public-Private Partnership Audit

(Amit Singh Negi)
Secretary